(110)

समक्ष माननीय राजस्व मंडल म0प्र0 ग्वालियर सर्किट कोर्ट रीवा म0प्र0

R5166-II/16

आवेदक की ओर से श्री रूपराम विश्वकर्मा एड. द्वारा पेश / 4-4-16

कोदू तनय कुमारे काछी निवासी ग्राम दिदौंध तहसील रघुराजनगर जिला सतना म0प्र0........ निगराकार

बनाम

1. फलुआ तनय जुगुल कुशवाहा पेशा खेती, निवासी दिदौंध तहसील रघुराजनगर जिला सतना म0प्र0
2. बतसिया पत्नी कुमारे काछी निवासी ग्राम दिदौंध तहसील रघुराजनगर जिला सतना म0प्र0
3. मल्ली पुत्री कुमारे पत्नी सत्यनारायण निवासी पैकौरी तहसील रघुराजनगर जिला सतना म0प्र0
4. शान्ती पुत्री कुमारे पत्नी संजय निवासी अहिरगॉव तहसील रघुराजनगर जिला सतना म0प्र0 .... गैर निगराकार गण

निगरानी अन्तर्गत धारा 50 म0प्र0भू राजस्व संहिता 1959 विरूद्ध आदेश दिनांक 29.2.2016 पारित द्वारा नायब तहसीलदार सर्किल कोठी तहसील रघुराजनगर जिला सतना म0प्र0 रा.प्र.क. 143अ27 / 14–15

मान्यवर,

निगराकार उक्त प्रसंग में निम्न तथ्यों एवं कानूनी आधारों पर यह निगरानी प्रस्तुत करता हैं :–

संक्षिप्त में प्रकरण के तथ्य इस प्रकार हैं :–

यह कि गैर निगराकार क.1 / आवेदक को आराजी नं0 1105 / 2 / ख रकवा 0.029 हे. मौजा दिदौंध पारिवारिक हिस्साबाट में मिली थी धारा

कोदू

राजस्व मण्डल, मध्यप्रदेश, ग्वालियर

अनुवृत्ति आदेश पृष्ठ

प्रकरण कमांक निग0 5166–दो/16 जिला –सतना

स्थान तथा दिनांक	कार्यवाही अथवा आदेश	पक्षकारों एवं अभिभाषकों आदि के हस्ताक्षर
29.6.16	आवेदक के अधिवक्ता श्री जसराम विश्वकर्मा उपस्थित होकर नायब तहसीलार सर्किल कोठी तहसील रघुराजनगर जिला सतना के प्रकरण कमांक 14/अ–27//14–15 में पारित आदेश दिनांक 29.2.16 के विरूद्व म0प्र0 भू–राजस्व संहिता 1959 की धारा 50 के अन्तर्गत यह निगरानी प्रस्तुत की गई है। 2– प्रकरण का संक्षेप इस प्रकार है आवेदक को आराजी कमांक 1105/2ख रकवा 0.029 है0 मौजा दिदौंध पारिवारिक हिस्सा बांट में मिली थी धारा अन्तर्गत 178, 109, 110 का आवेदन पत्र अधीनस्थ न्यायालय में प्रस्तुत किया था। आवेदक एवं अनावेदक के पिता ने अपने जीवनकाल में आराजी न0 1105/2 ख रकवा 0.029 है0 मौजा दिदौंध आवासीय प्रयोजन हेतु रजिस्टर्ड विक्रय पत्र कमांक 5105 दिनांक 23.3.07 को विकेता शेरसिंह मौजा दिदौंध तहसील रघुराज नगर जिला सतना से कय कर मौके में कब्जा प्राप्त किया था एवं नामांतरण पंजी कमांक 12 दिनांक 15.8.2007 में नामांतरण ग्राम पंचायत दिदौध द्वारा स्वीकृत किया गया था। आवेदक के पिता कुमारे काछी की मृत्यु के बाद	

क्रमशः

उक्त सम्पति का वारसाना नामांतरण ग्राम पंचायत दिदौंध द्वारा पंजी कमांक आदेश दिनांक 2.2.15 को नामांतरण निगराकार के नाम स्वीकृत किया जा चुका है।

3- उभयपक्ष को अधीनस्थ न्यायालय में आहुत किया गया जिस पर निगराकार कमांक 1 द्वारा गैर निगराकार के आवेदन के विरूद्ध प्रारंभित आपत्ति अधीनस्थ न्यायालय में प्रस्तुत की गयी तथा लेख किया गया कि आवेदक द्वारा आराजी न0 1105/2 ख रकवा 0.029 है0 का आवेदन 109, 110,178 का. मा. के तहत प्रस्तुत किया गया है जो गैर निगराकार कमांक का आवेदन निरस्त योग्य है। उनके द्वारा यह भी आपत्ति उठाई गई है म0प्र0 भू-राजस्व संहिता 1959 की धारा 178 के अन्तर्गत खाते में अपने अंश के विभाजन हेतु सहभूधारक द्वारा आवेदन प्रस्तुत किये जाने का आज्ञापक प्रावधान है लेकिन आवेदक का आवेदन उक्त धारा के अन्तर्गत आकर्षित नहीं होता है जो निरस्त किये जाने योग्य है।

4- मेरे द्वारा प्रस्तुत निगरानी मेमों एवं अन्य उपलब्ध दस्तावेजों का अवलोकन करने पर पाया गया है कि अभी तहसीलदार के यहां प्रचलन में है। और उभयपक्ष को उनके समक्ष पूरी साक्ष्य एवं सुनने का अवसर है । अतः प्रचलित निगरानी अग्राह्य की जाती है । पक्षकार सूचित हों। राजस्व मण्डल का प्रकरण संचय हेतु भेजा जावें।

सदस्य